

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक

5232

तक/प्र.अ.लो.स्वा.या.वि/04/

भोपाल दिनांक 26-7-09

परिपत्र

विषय:- संबंधित अन्तिम देयकों बाबत ।

मुख्य तकनीकी परीक्षक के कतिपय निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह परिलक्षित हुआ है कि निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर अत्यधिक विलम्ब से दिया जाता है । तत्पश्चात मुख्य तकनीकी परीक्षक को यह सूचित किया जाता है कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं है या रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जो कि एक गंभीर अनियमितता का परिचायक है । संबंधित अन्तिम देयकों के विषय में भी इस प्रकार की अनियमितता पायी गई है । अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो । अन्तिम देयकों का निराकरण, कार्य पूर्ण होने के पश्चात निश्चित समयवाधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे । निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर समयवाधि में मुख्य तकनीकी परीक्षक को प्रेषित किये जावे तथा समस्त रिकार्ड सुपक्षिप्त ढंग से रखे जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे ।

अतः निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे एवं रिकार्ड नहीं पाये जाने हेतु संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे ।

प्रमुख अभियन्ता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

म.प्र. भोपाल

भोपाल दिनांक

26-7-09

पृ.क्रमांक

5232

तक/प्र.अ.लो.स्वा.या.वि/04/

प्रतिलिपि:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिसर.....
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, लो.स्वा.या.मंडल/परि.मंडल.....
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी छप्प.....

प्रमुख अभियन्ता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

म.प्र. भोपाल